न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 05/2018
अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती जसविन्द्रकौर व अन्य बनाम राज्य सरकार
...वादीगण **...प्रतिवादी**

दिनांक 21 जून, 2018

।। संशोधित आदेश ।।

वादिया श्री जसविन्द्रकौर की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 19 जून, 2018 अन्तर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23 मई, 2018 के पृष्ठ संख्या 2 के अन्तिम पैरा की पंक्ति संख्या 6 एवं पृष्ठ संख्या 3 की पंक्ति संख्या 2 के साथ साथ डिक्री में वादिया का नाम जसविन्द्रकौर की अपेक्षा सुखविन्द्रकौर अंकित हो गया है जो कि लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधित करने का निवेदन किया गया.

पत्रावली का अवलोकन किया गया.

पत्रावली के अनुसार वादिया श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह पुत्र जगरसिंह घोषित कर चक 1 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/49 मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 6.325 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा कृषि भूमि एवं खाता संख्या 72/59 मुरब्बा नम्बर 23 की 2.530 हैक्टर में से 0. 363 हैक्टर कृषि भूमि के अभिलेख में वादिया श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह पुत्र जगरसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन चाहा गया है. किन्तु निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई, 2018 में श्रीमती सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह अंकित हो गया है जो कि कम्प्यूटराईजेशन टंकण की लिपिकीय त्रुटि है जिसे धारा 152 के उपबन्धों के अनुसार यथा संशोधित किया जा सकता है.

अतः इस न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली संख्या 5/2018 शीर्षक श्रीमती जसविन्द्रकौर व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23 मई, 2018 के पृष्ठ संख्या 2 के अन्तिम पैराग्राफ छठी लाईन में टंकित श्रीमती सुखविन्द्रकौर, पृष्ठ संख्या 3 के प्रथम पैरा की तीसरी लाईन में टंकित श्रीमती सुखविन्द्रकौर के स्थान पर श्रीमती जसविन्द्रकौर संशोधित किया जाता है. यथा संशोधित डिक्री जारी हो.

संशोधित आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 21 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

A2/4

संशोधित डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख, चक 21 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादीगण

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 05/2018
अन्तर्गत धारा 88, 91 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 का नाम श्रीमती जसविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगरसिंह एवं वादी संख्या 2 का नाम अमानतसिंह आत्मज श्री जगरसिंह, जटसिख घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर